कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड उ0 प्र0 जल निगम, गौतमबुद्धनगर (नोएडा)

पत्रांक : 214 / एम–14 /1 दिनांक : 06.03.17

नियम एवं शर्तें

कार्य का नाम– कार्यालय के प्रयोग हेतु चालक सहित परिवहन विभाग में पंजीकृत व्यवसायिक डीजल/सी0एन0जी0 चालित कार को किराये पर उपलब्ध कराना।

कार्य हेतु नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी :–

1. टैक्सी डीजल/सी0एन0जी0 कार जो कि कॉर्मिषियल वाहन के रूप में परिवहन विभाग में पंजीकृत होनी आवष्यक है।
2. वहन का मॉडल वर्ष 2008 से पुराना नहीं होना चाहिए तथा गाड़ी की सामान्य दषा बहुत अच्छी हालत में होनी चाहिए।
3. वाहन का प्रयोग सामान्यतः उत्तर प्रदेष में किया जाना प्रस्तावित है, परन्तु आवष्यकता होने पर दिल्ली में आना–जाना पड़ सकता है। अतः वाहन का परमिट आवष्यकतानुसार यू0पी0 एवं दिल्ली का होना आवष्यक है।
4. सफल कुटेषनदाता को रु0 2500.00 (दो हजार पाँच सौ रुपये) जमानत धनराषि जो कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 अथवा पोस्ट आफिस की एन0एस0सी0 के रूप में अधिषासी अभियन्ता निर्माण खण्ड उ0 प्र0 जल निगम, नोएडा (गौतमबुद्धनगर) के नाम बन्धक को जमा करनी होगी। उक्त धनराषि निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक कार्य पूर्ण करने के उपरान्त लौटाई जायेगी।
5. वाहन चालने की सीमा 2000 कि0मी0 प्रति माह होगी। वाहन 2000 कि0मी0 से कम चलता है तो उपयोग न किये गये कि0मी0 को आगामी दो माह तक उपयोग किया जा सकेगा, जिसके लिए आपूर्तिकर्ता को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. यदि वाहन एक माह में 2000 कि0मी0 से अधिक चलता है तो आपूर्तिकर्ता को रु0 8.00 प्रति कि0मी0 की दर से अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।
7. आवश्यकतानुसार ग्रीष्म ऋतु में माह अप्रैल से अगस्त माह के मध्य में का प्रयोग किया जायेगा, लेकिन इस मद में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त का व्यय मासिक किराये में सम्मिलित माना जाये।
8. आपूर्तिकर्ता को अपनी दरों में किराये की प्रति माह दरें मय वाहन चालक के एवं 2000 कि0मी0 रन तथा मरम्मत, टूट–फूट सहित देनी होगी।
9. वाहन की सर्विस/रिपेयिंग/मोबिल ऑयल आदि का व्यय वाहन मालिक द्वारा वहन किया जायेगा। अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा एवं किसी भी प्रकार दुर्घटना होने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व वाहन मालिक होगा।

10. वाहन चलाने का समय प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 तक रहेगा जिसके लिए अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा, तदुपरान्त नाइट चार्ज के रूप में रु0 150.00 प्रति नाइट अलग से भुगतान किया जायेगा।
11. वाहन का कम्प्रीहेन्सिव इन्ष्योरेन्स (सभी रिस्क कवर करते हुए) वाहन मालिक को अनिवार्य रूप से स्वयं के व्यय पर कराना होगा। इस मद में भी अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
12. वाहन के समस्त मूल कागज पूरे ना होने की दषा में अथवा वाहन चालक द्वारा परिवहन नियमों का उल्लंघन करने की दषा में यदि वाहन का चालान होता है तो उसके समस्त हर्जे–खर्चे की देनदारी व जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी। वाहन मालिक द्वारा जो वाहन चालक तैनात किया जायेगा उसके पास नियमानुसार विधिमान्य कार्मिषियल ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य होना चाहिये। वाहन चालक कुषल एवं व्यवहारिक होना अनिवार्य है।
13. वाहन किराये पर रखे जाने की अवधि 1 वर्ष तक की होगी। यह अवधि आपसी समझौते के आधार पर घटाई–बढ़ाई जा सकती है।
14. वाहन खण्ड अधिकारी के पूर्ण नियन्त्रण में रहेगा एवं वाहन की लॉगबुक का रखरखाव विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। वाहन का प्रयोग केवल जल निगम के कार्यों हेतु ही नियन्त्रण अधिकारी के निर्देषानुसार किया जायेगा।
15. बिना कारण बताये वाहन को हटा देने का अधिकार नियन्त्रण अधिकारी को होगा, ऐसी दषा में दोनों ओर से 15 दिन का नोटिस पर्याप्त माना जायेगा।
16. सर्विस टैक्स विभाग में पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को सर्विस टैक्स अलग से देय होगा, परन्तु सर्विस टैक्स का भुगतान सर्विस टैक्स जमा कराने के उपरान्त वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिपूर्ति के रूप में किया जायेगा।

(एस0वी0 सिंह)
अधिषासी अभियन्ता